

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-17
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100483

दिनांक: 30/01/2026

लोक सूचना

श्रीमति ASHA AGARWAL पत्नी श्री ASHISH AGARWAL जाति MAHAJAN निवासी 2/213 ANUGRAH NEAR MAHATMA GANDHI SCHOOL VIDYADHAR NAGAR JAIPUR-302039

श्री ADITI AGARWAL D/O ASHISH AGARWAL JARIYE SANRAKSHAK ASHISH AGARWAL पुत्र श्री CHIRANJEEV LAL AGARWAL जाति MAHAJAN निवासी 2/213 ANUGRAH NEAR MAHATMA GANDHI SCHOOL VIDYADHAR NAGAR JAIPUR-302039

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मोढूकाबास, रामपुरा डाबडी (जयपुर)	1.) नाबालिग आदिति अग्रवाल पुत्री आशीष अग्रवाल सरंक्षक सरपरस्त नाबालिक संरक्षक पिता आशीष अग्रवाल पुत्र चिरंजीव अग्रवाल हिस्सा पूर्ण जाति महाजन निवासी 2 / 213 अनुग्रह नियर महात्मा गाँधी स्कूल विद्याधार नगर जयपुर खातेदार	1021/971	0.028	0.028
2.	मोढूकाबास, रामपुरा डाबडी (जयपुर)	1.) नाबालिग आदिति अग्रवाल पुत्री आशीष अग्रवाल सरंक्षक सरपरस्त नाबालिक संरक्षक पिता आशीष अग्रवाल पुत्र चिरंजीव अग्रवाल हिस्सा पूर्ण जाति महाजन निवासी 2 / 213 अनुग्रह नियर महात्मा गाँधी स्कूल विद्याधार नगर जयपुर खातेदार	1023/974	0.0307	0.0307

3.	मोटूकाबास, रामपुरा डाबडी (जयपुर)	1.) आशा अग्रवाल पत्नि आशीष अग्रवाल हिस्सा पूर्ण जाति महाजन नि. प्लॉट न. 124 विकासनगर ढेहर का बालाजी सीकर रोड जयपुर खातेदार	1020/971	0.272	0.272
4.	मोटूकाबास, रामपुरा डाबडी (जयपुर)	1.) आशा अग्रवाल पत्नि आशीष अग्रवाल हिस्सा पूर्ण जाति महाजन नि. प्लॉट न. 124 विकासनगर ढेहर का बालाजी सीकर रोड जयपुर खातेदार	1022/974	0.2913	0.2913
कुल					0.622

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा ।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **30-01-2026** को जारी की गयी ।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & SEEMA SANDESH

प्राधिकृत अधिकारी जोन-17
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

